17-10-24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में उभय पक्ष की बजिद बहस सुनी गई प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा-पत्र अ-धा-212 R.T.A का सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

# न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

## पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या :– 34/2024

1. श्री धर्मकुमार आत्मज श्री मनोहरलाल महाजन निवासी चेची तह0 बेगूँ
2. श्री प्रकाश चन्द्र आत्मज श्री मनोहरलाल महाजन निवासी चेची तह0 बेगूँ
3. श्री विनोद आत्मज श्री मनोहरलाल महाजन निवासी चेची तह0 बेगूँ
4. श्री सागरमल आत्मज श्री मनोहरलाल महाजन निवासी चेची तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मोहनलाल आत्मज श्री भेरूलाल दर्जी निवासी चेंची तह0 बेगूँ
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बेगूँ जिला चितौडगढ़

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री कैलाशचन्द्र शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री आशीष सोनी
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :– 17.10.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री कैलाशचन्द्र शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण वादीगण द्वारा विपक्षी के विरूद्ध उक्त अनवान का वाद प्रस्तुत किया है जिसका निस्तारण निश्चय ही प्रार्थीगण के पक्ष में होगा किन्तु वाद के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य , उपयोग उपभोग की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम करून्दीया पटवार हल्का धामन्चा तह0 बेगूँ में खाता नम्बर खसरा नम्बर 56/47, 57/47 कुल कीता–2 कुल रकबा 1.67 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 56/47 के दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर 55/47 क्षैत्रफल 0.51 हैक्टर स्थित है।

कि प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी नम्बर 56/47 के दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर 55/47 स्थित है। जिसे प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 56/47 का भाग बना कर वर्ष 1972 से विपक्षी को अलोटमेन्ट से पूर्व से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। आराजी नम्बर 55/47 मूल रूप से आराजी नम्बर 47 का भाग थी। विपक्षी के पूर्ववर्ती खातेदार गोपाल को आराजी नम्बर 55/47 को आवंटन एवं गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने से पूर्व पटवारी द्वारा प्रश्नगत भूमि आराजी नम्बर 55/47 पर कब्जे, काश्त एवं उपयोग के सम्बन्ध में मोतबीरान पडोसी की उपस्थिति में कोई पर्चा मौका नहीं बनाया एवं न ही प्रश्नगत भूमि आराजी नम्बर 55/47 की कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट आवंटन अथवा गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने हेतु प्रस्तुत की गई। इसके उपरांत भी बिना किसी कब्जे काश्त के विपक्षी के नाम पर भूमि का आवंटन कर गैर खातेदारी से खातेदारी में विधि विपरीत रूप से दर्ज कर दी जबकि प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा एवं उपयोग निर्बाध रूप से चला आरहा है।

कि प्रार्थी का प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1972 से काश्त, उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने वर्ष 1972 से प्रश्नगत भूमि को उत्तर दिशा में स्थित खातेदारी की भूमि 56/47 में मिला कर काबिज काश्त बना कर, विपक्षी की जानकारी में मालिकाना हैसियत से काबिज होकर उपयोग उपभोग करना प्रारम्भ कर दिया प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि पर अनार आम के पेड लगाए वर्तमान में इन पेडो की आयु लगभग 19 साल से अधिक है। प्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी के उत्तर पूर्व दिशा में अपने एवं सिजारी के निवास हेतु कमरे का निर्माण यिका हुआ है एवं भूमि की सुरक्षा हेतु 6 फुट उंची पत्थ्झर की बाउण्ड्रीवाल बना कर आने जाने हेतु लोहे का गेट लगा रखा है। प्रार्थी ने प्रश्नगत भूमि को अपनी भूमि में मिला कर आराजी नम्बर 56/47, 57/47 पर स्थित कुए एवं टयूबवैल से सिंचाई हेतु पानी प्राप्त कर दो फसलें प्राप्त कर रहा हैं। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी की जानकारी में वर्ष 1972 से ऐलानिया रूप से प्रतिकूल रूप से काबिज होकर उपयोग करता चला आ रहा है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रश्नगत भूमि आराजी नम्बर 55/47 एवं 51/47 मूलतः श्री गोपाल पिता भेरूलाल दर्जी को आवंटित हुई थी। श्री गोपाल लाल प्रश्नगत आराजी के पूर्व दिशा में स्थित आराजी नम्बर 51/47 पर काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु श्री गोपाल लाल का प्रश्नगत भूमि पर कभी भी कब्जा एवं उपयोग नहीं रहा। गोपाल लाल ने आवंटन एवं खातेदारी में तथ्यों को छुपाकर प्राप्त किया। गोपाल लाल की अन्य भूमि प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1972 से गोपाल लाल की जानकारी प्रतिकूल रूप से ऐलानिया रूप से स्वामित्वधारी की हैसियत से काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षीगण ने गोपाल लाल से दिखावटी विक्रय विलेख अपने नाम पर निष्पादित करा लिया। श्री गोपाल लाल का भूमि पर कोई कब्जा उपयोग नहीं रहा विपक्षी के पूर्ववर्ती खातेदारी गोपाल लाल का भूमि पर कभी भी सांकेतिक अथवा भोतिक कब्जा ही नहीं रहा है। पूर्ववर्ती खातदार गोपाल लाल की जानकारी में प्रतिकूल रूप से एवं विपक्षी के पूर्ववर्ती खातेदारी की जानकारी में प्रतिकूल रूप से सेटलड पजेशन चला आ रहा है। विपक्षी ने प्रार्थी के सेटल्ड एलानिया कब्जे को किसी भी सक्षम न्यायालय में कभी चुनौती नहीं दी, विपक्षी ने बिना किसी कब्जे के भूमि पर पत्थरगढी कराने की कोशिश की जिससे पटवारी रिपोर्ट में भी प्रार्थी का कब्जा होने से पत्थरगढी नहीं किया जाना जाहिर आया। प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1972 से सेटलड एवं ऐलानिया कब्जा होने से प्रार्थी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 55/47 पर 12 वर्ष से अधिक समय से प्रतिकूल कब्जा होने एवं विपक्षी के खातेदारी अधिकारो का आवसान होने से प्रार्थी अपने खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी है। इस हेतु वादपत्र न्यायालय आम में प्रस्तुत है।

कि प्रार्थी विपक्षी की जानकारी में ऐलानिया रूप से प्रश्नगत भूमि का उपयोगकर्ता चला आ रहा है। विपक्षी वर्ष 1972 से प्रार्थी के सेंटल पोजिशन में कभी भी दखल नहीं किया। विपक्षी को प्रार्थी के 12 वर्ष से भी अधिक लंबे सेटलड पजिशन को विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना ताकत के बल पर दखल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। विपक्षी ने विक्रय विलेख की आड में ताकत के बल पर प्रार्थी के पजिशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो प्रार्थी ने विपक्षी को अपनी कब्जेशुदा भूमि पर आने से रोक दिया। प्रार्थी ने विपक्षी के विरूद्ध शांति भंग करने से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई। विपक्षी प्रार्थी के सेटलड पजेशन में विक्रय विलेख की आड में दखल करने की धमकी देता है जिससे प्रार्थी विपक्षी को प्रार्थी के कब्जे उपयोग में दखल नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी हैं।

कि प्रार्थी विपक्षी की जानकारी में वर्ष 1972 से ऐलानिया रूप से प्रश्नगत भूमि का उपयोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी ने विपक्षी की जानकारी में प्रतिकूल रूप से काबिज होकर प्रश्नगत भूमि को काबिल काश्त बनाकर मालिकाना हैसियत से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा भूमि पर अनार आम के पेड बगीचे हेतु लगाए है जिनकी आयु लगभग 19 वर्ष से अधिक है। प्रार्थी ने विपक्षी की जानकारी में प्रश्नगत के उत्तर पश्चिम दिशा में अपने एवं सिजारी के निवास हेतु वर्ष 1999 में कमरे का निर्माण किया हुआ है एवं सुरक्षा हेतु 6 फुट उंची पत्थर की बाउण्ड्री बना रखी है। पूर्ववर्ती खातेदार का कभी कब्जा नहीं रहा है खातेदारी की जानकारी में ऐलानिया रूप से प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।वर्णित कृषि भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय से विपक्षी एवं विपक्षी के पूर्ववर्ती खातेदारी गोपाल की जानकारी में प्रतिकूल रूप से ऐलानिया कब्जा एवं उपयोग होने से प्रार्थी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रश्नगत भूमि को अपने खातेदारी की घोषणा कराने का अधिकारी होकर प्रार्थी का वर्ष 1972 से लेकर वाद दिनांक 10.06.2024 तक 12 वष से भी अधिक समय से प्रतिकूल कब्जा होने से वाद कारण पैदा हुआ एवं हो रहा है।

अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि कृषि खाता नम्बर 102 खसरा नम्बर 55/47 कुल कीता–1 क्षैत्रफल 0.51 हैक्टर ग्राम करून्दीया पटवार धामंचा तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ में विपक्षी संख्या 1 दखल नही करें न अपने किसी एजेन्ट कर्मचारी से करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षी सं0 1 की ओर से मूलवाद पत्रावली में अधिवक्ता श्री अशीष सोनी ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया तथा इस प्रार्थना पत्र पर का जबाव

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

स्तुत कर निवेदन किया कि मूलवाद जो प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया है वे प्रार्थीगण के पक्ष में निस्तारण नहीं होगा क्यो कि वादपत्र झूठे तथ्यों पर आधारित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के कृषि आराजीयात के दक्षिण दिशा में स्थित आराजी संख्या 55/47 मुझ विपक्षी संख्या एक के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड होकर मुझ विपक्षी संख्या एक के उपयोग उपभोग में होना स्वीकार किया है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी संख्या एक व उसके परिवारजन वक्त आवंटन से ही उक्त आराजी 55/47 पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। तथा उक्त आराजी के आवंटन व गैर खातेदारी से खातेदारी करने की समस्त कार्यवाही विधिवत रूप से राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई थी।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या तीन गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का मुझ विपक्षी संख्या एक की आराजी पर कभी कब्जा रहा ही नहीं है महज मुझ विपक्षी संख्या एक की आराजी प्रार्थीगण की आराजीयात के पास स्थित होने से प्रार्थीगण मुझ विपक्षी संख्या एक को अपनी खातेदारी आराजी के उपयोग उपभोग करने से महरूम नहीं कर सकते है। और मुझ विपक्षी संख्या एक को अपने आराजी के खातेदारी अधिकारो से वच्छित नहीं कर सकते।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या चार गलत होकर अस्वीकार है। उक्त आराजी विपक्षी संख्या एक के भाई को आवंटन होकर विपक्षी संख्या एक व उसका भाई उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे थे। तथा पारिवारिक विभाजन में उक्त आराजी विपक्षी संख्या एक के हिस्से में आने से उक्त आराजी का जरिये दान हस्तांतरण विपक्षी संख्या एक के पक्ष में किया गया था। और लागातार विपक्षी संख्या एक व उसके परिवारजन ही उक्त आराजी पर काबिज होकर आराजी का उपयोग उपभेाग करते आ रहे है। एवं प्रार्थीगण की आराजीयात की दिशा में मुझ विपक्षी संख्या एक ने अपनी आराजी पर सीमेन्ट के पोल के तारबंदी कर रखी थी। प्रार्थीगण का कभी उक्त आराजी पर क ब्जा रहा ही नहीं है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या पॉच गलत होकर अस्वीकार है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा रहा ही नहीं है महज कहने मात्र से मुझ विपक्षी संख्या एक को अपने खातेदारी आराजी के उपयोग उपभोग व काश्त करने से प्रार्थीगण वच्छित नहीं कर सकते। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मुझे व बेबुनियादी तथ्यो पर आधारित पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या छः गलत होकर अस्वीकार है। उक्त आराजी पर विपक्षी संख्या एक व उसके परिवारजन वक्त आवंटन से ही काबिज होकर उपयोग उपभेाग व काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजी पर अनार आम का बगीचा नही होकर प्रार्थीगण का कभी उक्त आराजी पर कब्जा रही नहीं है जिससे की वाद कारण पैदा हो। प्रार्थीगण मुझ विपक्षी संख्या एक को अपनी आराजी के उपयोग उपभेाग से वच्छित करने के लिये उक्त झुठे तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि विपक्षी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमावें।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्त0अधि0 पर उभयपक्ष की बहस को घ्यानपूर्वक सुना गया। बहस में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन प्रार्थना पत्र के अनुसार करते हुए कहा कि मौजा करून्दीया प0ह0 धामंचा की आराजी संख्या 55/47 पर 12 वर्ष से अधिक समय से हम प्रार्थीगण का निर्बाध प्रतिकूल कब्जा होने से विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। जबकि बहस में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब अनुसार अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि वर्णित कृषि आराजीयात विपक्षी के खातेदारी की आराजी है जिसके लिए विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। उभयपक्ष की बहस को सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। तथा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दुओं पर निस्तारण दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता हैः—

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

1 प्रथम दृष्टया मामला::—

पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा करून्दीया प0ह0 धामंचा सम्वत 2078 की नकल का अवलोकन किया गया जिसमें दर्ज आराजी संख्या 51/47, 55/47 कुल कीता—2 कुल रकबा 1.0800 हैक्टर भूमि के खातेदार मोहनलाल पुत्र भेरूलाल हिस्सा पूर्ण जाति दर्जी सा. चेची खातेदार दर्ज अंकित है। इस प्रकार प्रार्थीगण विपक्षी को उसके खातेदारी आराजी संख्या 55/47 रकबा 0.5100 हैक्टर भूमि के लिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पाबन्द करवाना चाहते है, जो नियम अन्तर्गत नहीं है। किसी भी खातेदार को उसके खातेदारी की भूमि के लिए किस नियम से पाबंद कराया जा सकता है, जहॉ तक प्रतिकूल कब्जे का प्रश्न है, यदि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त विपक्षी के आवंटन से पूर्व का रहा था तो प्रश्नगत भूमि विपक्षी को जब आवंटन की गई तो प्रार्थीगण को उक्त आवंटन के विरूद्ध नियमानुसार अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो उन्होने नहीं की है, साथ ही प्रार्थीगण के महज प्रार्थना पत्र में अपना कब्जा बताये जाने से विपक्षी के खातेदारी की भूमि पर कब्जा नहीं माना जा सकता है, क्यों कि आवंटन नियम की शर्तो के अनुसार आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जे काश्त व वर्षवार उन्हें कृषि कार्य आवंटित भूमि पर किये जाने के उपरान्त ही खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है। किस आधार पर प्रार्थीगण अपना प्रतिकूल कब्जा बताते है, यदि प्रार्थीगण किसी अन्य खातेदार की भूमि पर कब्जा काश्त करते भी है तो वह सिर्फ एक अतिक्रमी की परिभाषा में ही आता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 56/47, 57/47 कीता—2 रकबा 1.67 हैक्टर भूमि के प्रार्थीगण खातेदार होना अंकित किया है। पत्रावली में अन्य दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीगण के पिता को भी यह भूमि आवंटित हुई है। पत्रावली में छायाचित्र प्रस्तुत किये जाने से विपक्षी की भूमि पर कब्जा होना सिद्ध नहीं होता है। विपक्षी को जरिये जाप्ती फौजदारी 107, 116(3) में कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा कर दिये जाने से विपक्षी की भूमि प्रार्थीगण की भूमि नहीं हो सकती है, दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य शपथ पत्र जो प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किए है उनसे भी प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2— सुविधा का सन्तुलन ::—

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी मौजा करून्दीया प0ह0 धामंचा की प्रश्न भूमि आराजी संख्या 55/47 रकबा 0.5100 हैक्टर भूमि विपक्षी के खातेदारी की कृषि भूमि है, उक्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा प्रारम्भ से ही प्रार्थीगण का होना रहा हो इस तथ्य को प्रार्थीगण दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहे है। किसी भी खातेदार की कृषि भूमि को कब्जे के आधार पर अपनी भूमि बताते हुए खातेदार को पाबन्द कराया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

3— आर्थिक क्षति ::—

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी मौजा करून्दीया प0ह0 धामंचा की आराजी संख्या 55/47 रकबा 0.5100 हैक्टर भूमि के खातेदार विपक्षी है प्रार्थीगण उक्त आराजीयात के खातेदार नहीं है, प्रतिकूल कब्जा होने के तथ्य को भी प्रार्थीगण अपने साक्ष्य सबूत से सिद्ध करा पाने में असफल ही रहे है, यदि किसी खातेदार को उसके कृषि आराजी के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो खातेदार यानि विपक्षी को ही आर्थिक क्षति होती है, प्रार्थीगण को कोई हानि नहीं होती हैं। इस बिन्दु को भी प्रार्थीगण अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असफल रहे है।

प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीनों बिन्दुओं को प्रार्थीगण अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। साथ ही किसी भी खातेदार को उसके खातेदारी की कृषि आराजी के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिंनांक 17.10.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बगूं